

Ref. No: Z-IV/R-39/D-2/174 & 207

Date : 30 September, 2023

BSE Ltd. Regd. Office: Floor - 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001.	National Stock Exchange of India Ltd. Listing Deptt., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.
BSE Scrip: UNOMINDA; 532539	NSE Scrip: UNOMINDA

Sub: - Submission of newspapers clippings

Dear Sirs,

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read alongwith the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs, we wish to inform that the notice of the company published on 30 September, 2023 in the newspapers i.e. Financial Express (English) and Jansatta (Hindi), for the kind attention of all such shareholders of the erstwhile Harita Seating Systems Limited, which merged with the company, advising them to move an application to the company to claim the unclaimed interim dividend for the year 2016-17 onwards, so that the shares are not transferred to IEPF. The copy of the newspapers clippings is enclosed herewith.

It is for your information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Uno Minda Limited

Tarun Kumar
Srivastava

Digitally signed by Tarun
Kumar Srivastava
Date: 2023.09.30 22:12:53
+05'30'

Tarun Kumar Srivastava
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: above.

Criminal Courts, Ludhiana
(Complaints for Magistrate Assistant only)
In The Court Of Ms
Lovepreet Kaur Swaich
Judicial Magistrate 1st
Class, Ludhiana
Kotak Mahindra Bank
Vs
Mohammad Firdoush
Ansari
CNR No: PBLD03-025184-2020
COMA/61/2020
Notice to: 1. Mohammad
Firdoush Ansari @ MD
firdoush Ansari R/o 79 Ward
No. 35 Masjid Road Sector-11,
Zone -3 Khursipar, Bhilai
490011 (Chhattisgarh)
In above titled case, the defendant
(s)/respondent(s) could not be served. It
is ordered that defendant (s)/ respondent
(s) should appear in person or through
counsel on 31.10.2023 at 10:00a.m. for
details login to:
https://highcourthcd.gov.in/?trs=district_n
otice&district=ludhiana JMC Ludhiana



पंजाब नैशनल बैंक
(पंजाब का बैंक)

अंशुल शर्मा केन्द्र, प्रथम तल, भीकाजी काना प्लेस, नई दिल्ली-110066 ई-मेल : zs8343@pnb.co.in

शुद्धिपत्र

बिक्री सूचना के संबंध में फ़ाइनंशियल एक्सचेंज (अंग्रेजी) दिल्ली संस्करण (पृष्ठ संख्या 18) दिनांक 28.09.2023 और जनसत्ता (हिंदी) दिल्ली संस्करण (पृष्ठ संख्या 16) दिनांक 29.09.2023 में प्रकाशित ई-नीलामी बिक्री नोटिस दिनांक 28.09.2023 का शुद्धिपत्र, मेसर्स लालसंस ज्वैलर्स लिमिटेड के संबंध में नीचे उल्लिखित संपत्ति को कुछ तकनीकी कारणों से वापस ले लिया गया है-

सम्पत्ति का यह समस्त भाग एवं अंश जोकि निर्मित अचल सम्पत्ति लीज होल्डर प्लॉट नं. 6, ब्लॉक 23-बी, पश्चिमी एक्सटेंशन एरिया (डब्ल्यू ई ए) न्यू रोडतक रोड, नई दिल्ली में स्थित, जिसका कुल क्षेत्रफल 491 वर्ग गज, यह सम्पत्ति आर. मलिक एण्ड कम्पनी प्रा. लि. के नाम पर है।

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक

PUBLIC NOTICE

I, Veena Sahdev W/o Late Shri Ashok Kumar Sahdev R/o 59-C, Pocket-1, Phase-1, Mayur Vihar, Delhi-110091, have lost Original Share Certificate of Procter and Gamble Health Limited. They were in the name of my deceased husband Ashok Kumar Sahdev. Details of All Original Share Certificates of Procter and Gamble Health Limited are as below:-

Folio No	Certificate No	Distinctive No From	Distinctive No To	No Of Shares
A001226	14323	20994634	20994658	25
A001226	34407	2780016	2780030	15
A001226	68814	4489466	4489475	10
A001226	68815	4489476	4489478	3
A001226	200864	5966515	5966540	26
A001226	310965	9489791	9489830	40



टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11बी मॉडल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतनगर कदम मार्ग, लेक्स पर्वत, मुंबई-400013 सैआइएन नं. U67190MH2008PLC187552

कब्जा-सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित धारजित नियम, 2002 के विवरण 8(1) के साथ पठित पॉस्टिफ़ IV के अनुसार)

जबकि, अयोहस्ताक्षरी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को एक नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया।। उधारकर्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल होने पर, विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य तौर पर जनता को नोटिस दिया जाता है कि अयोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को, संपत्ति के साथ सीधा न करने के लिए चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेनदेन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को नीचे निर्दिष्ट राशि, उसके साथ उक्त पर ब्याज और मांग सूचना की तारीख से दोहान्यक ब्याज, जुल्क, लागत आदि के प्रभार के अधीन होगा।।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को पुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।।

ऋण खाता संख्या:	कयातावली (बी), कानूनी वारिसों/ कर्तुषी प्रतिनिधि(बी) का नाम	किंगड नोटिस की राशि और तिथि	कब्जा तिथि:
9693700	श्री मनीष कुमार (उधारकर्ता के रूप में) और श्रीमती एक्का कुमार (सह-उधारकर्ता के रूप में)	10 / 07 / 2023 के अनुसार ₹ 2,24,30,810/- (दो करोड़ चौबीस लाख तीन हजार नौ सौ पच्चीस रुपये मात्र) बकाया	26.09.2023 (सांकेतिक)


प्रतिभूति संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण: प्रीमियर अर्बन, सेक्टर 15, भाग 02, गुडगांव 122001 (हरियाणा) में स्थित आवासीय **4बीएचके अपार्टमेंट/प्लेट** नं. 1201, 1201, मॉडल, 1100 वर्ग फुट की छत सहित कुल क्षेत्रफल 4200 वर्ग फुट के सभी टुकड़े और अंश,

डोकेमेंट/प्लॉट/सूचना संख्या:	श्री अनांस कुमार भारती (उधारकर्ता के रूप में) और श्रीमती चंदा देवी (सह-उधारकर्ता के रूप में)	12 / 07 / 2023 के अनुसार ₹ 33,13,683/- (तीस लाख तेरह हजार छह सौ तिरासी रुपये मात्र) बकाया	27.08.2023 (सांकेतिक)
------------------------------	--	--	-----------------------

प्रतिभूति संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण: ग्राम छ्वाला, इलाक़ा जिसे चांद नगर के नाम से जाना जाता है नई दिल्ली 110018 में स्थित, डिग्रय विलेज में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाओं के साथ खसरा नंबर 31 / 21, 35/ 1 में शामिल, प्रोडोल्ड निर्मित आवासीय संपत्ति के मकान नं. 263 के दक्षिणी भाग के तीसरी मंजिल परिसर (घर/उज्जा अधिकार के साथ) के सभी टुकड़े और अंश, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज (30'x30'), उसके अलावा पूर्ण के आपूर्तिगत अधिकार के शामिल हैं। चौड़ी : पूर्व संपत्ति संख्या 264, पश्चिम-संपत्ति संख्या 262, उत्तर-संपत्ति संख्या 263 का बीच भाग, दक्षिण -20 फीट सड़क।

दिनांक-30/09/2023
स्थान- दिल्ली/एनसीआर

हस्ता /— प्राधिकृत अधिकारी,
कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड



इंडियन ओवरसीज बैंक
रचना बिल्डिंग, चौबी मॉडल, 2, राउर पेटलेज, राजा रोड, नई दिल्ली-110008 फोन:011-25758124 ई-मेल : iob1997@iob.in

दिनांक: 27.09.2023

कब्जा-सूचना

(अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8(1))

जबकि, अयोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इंडियन ओवरसीज बैंक के अधिकृत अधिकारी है और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्छेदने दिनांक 26.07.2023 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ताओं मेसर्स जडिया पाइप्स (इंडिया) लिमिटेड (इसके बाद "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित) और श्री ललित कुमार गोयल, श्री मोहिंदर कुमार गोयल, श्री विकास अग्रवाल, श्री अतुल अग्रवाल और श्रीमती आकृति अग्रवाल (इसके बाद गारंटर के रूप में संदर्भित) से नोटिस में उल्लिखित राशि **₹.80,76,75,154/-**—(अस्सी करोड़ छिहतर लाख पचहत्तर हजार एक सौ चौवन मात्र) के साथ **31.05.2023** से अतिरिक्त ब्याज के साथ-साथ, वसूली की तारीख तक संविदात्मक दरों पर अतिरिक्त ब्याज और शेष, शुल्क आदि को उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा है।

(1) उधारकर्ताओं द्वारा उक्त राशि चुकाने में विफल रहे, उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अयोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उस प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर **27 सितंबर, 2023** को कब्जा कर लिया है।।

(2) विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को उक्त संपत्ति के साथ सीधा नहीं करने की सलाह दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन दिनांक 31.05.2023 तक **₹.80,76,75,154/-**—(अस्सी करोड़ छिहतर लाख पचहत्तर हजार एक सौ चौवन मात्र) के साथ नोटिस में उल्लिखित उपरोक्त तिथि से भुगतान की तारीख तक संविदात्मक दरों पर ब्याज और सहमति के अनुसार शेष, शुल्क आदि के साथ, डिमांड नोटिस जारी करने के बाद, किए गए पुनर्गुणन **₹.4,69,59,070/-**— (चार करोड़ उनहतर लाख उनसठ हजार सत्तर मात्र) को घटा कर की धाराशि, इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रभार के अधीन होगा।। कब्जा लेने की तारीख को देरा राशि **31.08.2023** तक **₹.80,92,56,894/-**— (अस्सी करोड़ नवने लाख छपन हजार छठ सौ चौवन बने मात्र) की राशि भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दरों पर अतिरिक्त ब्याज और शेष, शुल्क आदि देयगर्ग है।

(3) उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति संपत्ति को भुनाने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता।।

अचल संपत्ति का विवरण

द्रांसफार्म, पाइप परीक्षण मशीन, डी-कोलर, पाइप मिल पादर्स, रोल सेट लूज, ओवरसेड केन और पाइप वेल्डिंग मशीन आदि सहित सभी संबंध और मशीनरी को दृष्टिबंधक रखा गया है।।

चल संपत्ति का स्वाभिन्न मेसर्स जडिया पाइप्स (इंडिया) लिमिटेड के पास है।।

दिनांक: 27.09.2023 कृते इंडियन ओवरसीज बैंक,
स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

उनो मिंडा लिमिटेड

(पूर्व में मिंडा इंडस्ट्रीज लि. के रूप में अभिज्ञात)

पंजीकृत कार्यालय : बी-64 / 1, वजीपुरी औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052

निगमित कार्यालय : ग्राम नवादा फतेहपुर, पी. ओ. सिन्दवरपुर बग्दा, निकट आईएनटी मानेसर, गुडगांव (हरियाणा)– 122014

सीआइएन : एच74899जिआन1992पीएलसी050333

दूरभाष : +91 11 49373931, 91 124 2290427, फ़ैक्स : 91 124 2290676

ई-मेल : investor@unominda.com, वेबसाइट : www.unominda.com



सूचना

कंपनी के साथ संबंधित पूर्ववर्ती हरिता सीटीएंग सिस्टम्स लिमिटेड के अंशधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण एवं प्रतिदेय) नियमावली 2016 ("नियमावली"), संशोधितानुसार, के प्रावधानों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये उक्त संबंधित कंपनी द्वारा घोषित अंतरिम लाभार्श, जो कि सात वर्षों की एकावधि से असावास्तुत बना हुआ है, उसे 08 दिसंबर 2023 तक आईईपीएफ में जमा कर दिया जायेगा।। ऐसे तदनुकूषी अंश जिजि पर कि निरंतर सात वर्षों से लाभार्श के लिये दाना नहीं किया गया था, उन्हें भी नियमावली में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अंतरित किया जायेगा।। नियमावली के अनुपालन में, व्यक्तिगत सूचनायें उन सभी संबंधित अंशधारकों को प्रेषित की जा रही हैं, जिनके अंशों को उपर्युक्त नियमावली के अनुसार आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, ऐसे अंशधारकों के पूर्ण विवरण कंपनी की वेबसाइट www.unominda.com पर उपलब्ध करायें गये हैं।।

इस संबंध में, कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें :

i. यदि आप मौलिक प्रारूप में अंशों का धारण करते हैं : अनुपिधि (ड्रिज़िकेट) अंश प्रमाणपत्र(त्रों) निर्गत किये जायेंगे तथा आईईपीएफ में अंतरित किये जायेंगे।। आपके नाम(में) पर पंजीकृत तथा आपके द्वारा अधिधारित मूल अंश प्रमाणपत्र(त्रों), स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।।

ii. यदि आप इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अंशों का धारण करते हैं : आपके डिजिट खाता को, आईईपीएफ को अंतरण हेतु निर्धारित अंशों के लिये, डेबिटेट किया जायेगा।।


यदि 30 नवंबर 2023 को अथवा इस तिथि से पूर्व कैश दाना प्राप्त नहीं किया जाता है, तो कंपनी बिना किसी भावी सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण में निर्धारित लाभार्श तथा सप्ता अंशों के अंतरण की प्रक्रिया करेगी।। कृपया अवगत हो कि उक्त नियमावली के अनुसार आईईपीएफ में अंतरित असावास्तुत लाभार्श राशि तथा अंशों के संदर्भ में कंपनी के निरुद्ध कोई भी दाना नहीं किया जा सकेगा।। इस बिंदु से अवगत हो लें कि संबंधित अंशधारक ऑनलाइन विधि से निर्धारित प्रपत्र आईईपीएफ-5 में एक आवेदन प्रस्तुत करके तथा प्रपत्र आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित प्रलेखों की मौलिक भति कंपनी के केंद्रक अधिकारी को भेज करके आईईपीएफ प्राधिकरण से अंशों तथा लाभार्श का दाना कर सकते हैं।।

प्रपत्र पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिये कृपया अयोहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें।। इस संबंध में की जानेवाली विचिती को कृपया ई-मेल के माध्यम से investor@unominda.com पर प्रेषित करें अथवा वास्तविक प्रति को कूरियर या डाक के माध्यम से ऊपर वर्णितानुसार निगमित कार्यालय के पते पर प्रेषित करें।।

कृते उनो मिंडा लिमिटेड हस्ता./—

(तरुण कुमार श्रीवास्तव)

दिनांक : 29-सितंबर-2023



केनरा बैंक Canara Bank
(पंजाब का बैंक)

गार्ड भवन, कंवर सैन चौक के समीप, रेलवे रोड, तोहाना — 125120, हरियाणा ईमेल-आईडी : cb3165@canarabank.com

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

सं: आईसी/आरओ/आरओएफ/सरफोंएसि/ तोहाना /जीके/ 2023-24 दिनांक : 27-09-2023

अधिग्रहण सूचना [धारा 13(4)]

जबकि : अयोहस्ताक्षरकर्ता ने केनरा बैंक, तोहाना के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का अधि. 54) (यहां इसमें इसके उपरांत "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 02-06-2021 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता **श्रीमती गुरशरण कौर पत्नी श्री जगजीत सिंह तथा गारंटर श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री सुरपूख सिंह, को सूचना में अंकित राशि रु. 4,00,932.33/-**— (रुपये चार लाख नौ सौ बत्तीस एवं तैंतिस पैसे मात्र) साथ में भावी ब्याज का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।।

चूंकि ऋणकर्ता एवं गारंटर निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा ऋणकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अयोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **27 सितंबर 2023** को, अधिग्रहण कर लिया है।।

ऋणकर्ता एवं गारंटर को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, रु. **4,00,932.33/-**— (रुपये चार लाख नौ सौ बत्तीस एवं तैंतिस पैसे मात्र) के की राशि और राशि पर नियत ब्याज एवं शुल्कों हेतु केनरा बैंक के प्रभारधीन होगा।।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।।

अचल संपत्ति का विवरण

एक भूखंड, अब मकान जो उस पर निर्मित है, जिसका मापन तथा परिसीमिन निम्नानुसार है :—

कुल माप 55 वर्ग गज अर्थात् 0के-1.7एम. जो कि कुल माप 12के-07एम में से 7/988वां अंश है, जो खेवट नं. 890, खतीनो नं. 1046, कित्ला-9 में समाविष्ट, सुंदर नगर के अंतर्गत, गैर एजेंसी के समीप, दमोकरा मार्ग, तोहाना जनपद फतेहाबाद में स्थित तथा विक्रय विलेख वसिका नं. 4605 दिनांक 09-02-2011 द्वारा उप-पंजीयक तोहाना के कार्यालय में पंजीकृत है, तथा श्रीमती गुरशरण कौर पत्नी श्री जगजीत सिंह निवासी : बाई सं. 16, सुंदर नगर, गैर एजेंसी के समीप, दमकोरा मार्ग, तोहाना जनपद फतेहाबाद के स्वाभिन्नधारण एवं अधिग्रहण में है। बाद में म्यूटेशन नं. 12188 को 23-02-2011 को उपरोक्त उल्लिखित श्रीमती गुरशरण कौर पत्नी श्री जगजीत सिंह के पक्ष में संस्वीकृत किया गया तथा निम्नानुसार परिसीमित किया गया है :—


पूर्व- 13'-09" — बलवत सिंह का भूखंड पश्चिम- 13'-09" — गली शर-आम उत्तर- 36'-00" — बलकार सिंह का भूखंड दक्षिण- 36'-00" — बलकार सिंह का भूखंड

दिनांक : 27-09-2023 **स्थान : तोहाना** **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

www.readwhere.com



इंडियन बैंक Indian Bank
(पंजाब का बैंक)

एएसएम शाखा, प्रथम तल, 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 (फोन : 011-40230166) ईमेल : armdbelhi@indianbank.co.in

पारिशिष्ट-4-क [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(त्रों) एवं जमानती(त्रों) को सूचित किया जाता है प्रतिभूत क्रेडिटर इंडियन बैंक (ई-इलाहाबाद बैंक) के पास बंधक /प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका सांकेतिक कब्जा ई-इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) सैम शाखा दिल्ली /प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री कर्जदार, जमानती, बंधककर्ता से इण्डियन बैंक (पूर्व का इलाहाबाद बैंक) सैम शाखा दिल्ली, प्रतिभूत लेनदार, के बकाये रु. **3,97,27,720/-**— (रुपये तीन करोड़ सत्तानवने लाख सत्ताईस हजार सात सौ बीस मात्र) (31.10.2022 तक) तथा वसूली तक भावी ब्याज, लागत, अन्य प्रभारों एवं व्ययों की वसूली के लिए **30.10.2023** को "जो है यही है", "जहाँ है जेसे है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी।। आरक्षित मूल्य नीचे दिया गया है तथा जमा धरोहर राशि क्रमशः उल्लिखित है।।

ई-नीलामी विधि से बिक्री हेतु प्रस्तावित सम्पत्तियों का विशिष्ट विवरण यहां नीचे दिया गया है :

ई-नीलामी 30.10.2023 को 11.00 बजे पूर्वा: से 04.00 बजे अप: सरफरीजी अधिनियम के तहत

कर्जदार(रा) का नाम	जमानती(त्रों) / बंधककर्ता(ओं) का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	सामान्य बच-बकाया-तथा सरकारी प्राधिकरणों आदि के ऋणारों, बकायों का विवरण, यदि कोई हो	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि	न्यूनतम वृद्धि
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
मेसर्स गुरुजी इंटरप्राइजेज प्रोपराइजस् प्रदीप यादव	स्वर्गीय श्री प्रदीप यादव (जमानतदार / बंधककर्ता)	प्लेट नंबर II-A/D-1, प्रथम तल (बिना छत अधिकार के) नेहरू नगर, गाजियाबाद में स्थित है परिमाण 52.11 वर्ग मीटर, जो स्व० श्री प्रदीप यादव और श्रीमती सुरुधि यादव के नाम पर है।। चौहद्दी निम्नानुसार : उत्तर : प्लेट संख्या II-A/D3, पूर्व : 40 फुट चौड़ा रोड दक्षिण : 30 फुट चौड़ा रोड पश्चिम : सर्विस लेन	बैंक के रिकार्ड के अनुसार कोई ई नहीं	₹ 41,55,000	₹ 4,15,500	₹ 1,00,000
श्रीमती सुरुधि यादव (जमानतदार / बंधककर्ता/ कानूनी उत्तराधिकारी)	श्रीमती सुरुधि यादव (श्री इंदय यादव-कानूनी वारिस के संरक्षक)	प्लेट नंबर II-A/D-2, मू तल (बिना छत अधिकार के) नेहरू नगर, गाजियाबाद में स्थित है परिमाण 191.57 वर्ग मीटर, जो स्व० श्री प्रदीप यादव और श्रीमती सुरुधि यादव के नाम पर है।। चौहद्दी निम्नानुसार : उत्तर : रोड 40' फुट पूर्व : प्लेट संख्या II-A/D-4, दक्षिण : रोड- 3.65 मीटर	बैंक के रिकार्ड के अनुसार कोई नहीं	₹ 44,00,000	₹ 4,40,000	₹ 1,00,000
श्री स्वतंत्र कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेंद्र नाथ (जमानतदार)	श्री श्रवतंत्र कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेंद्र नाथ (जमानतदार)	प्लेट नंबर II-A/F-23, प्रथम तल (बिना छत अधिकार के) नेहरू नगर, गाजियाबाद में स्थित है परिमाण 60.16 वर्ग मीटर, जो स्व० श्री प्रदीप यादव और श्रीमती सुरुधि यादव के नाम पर है।। चौहद्दी निम्नानुसार : उत्तर : सर्विस रोड पूर्व : प्लेट संख्या E-19, दक्षिण : प्लेट संख्या 124	बैंक के रिकार्ड के अनुसार कोई नहीं	₹ 28,08,000	₹ 2,80,800	₹ 1,00,000
श्री ग्रियंकर यादव	श्री ग्रियंकर यादव	प्लेट नंबर II-A/E-1, प्रथम तल (बिना छत अधिकार के) नेहरू नगर, गाजियाबाद में स्थित है परिमाण 48.51 वर्ग मीटर, जो स्व० श्री प्रदीप यादव के नाम पर है।। चौहद्दी निम्नानुसार : उत्तर : सर्विस रोड पूर्व : रोड 30 फुट दक्षिण : प्लेट संख्या E-5	बैंक के रिकार्ड के अनुसार कोई नहीं	₹ 39,94,000	₹ 3,99,400	₹ 1,00,000
		प्लेट नंबर II-A/F-21, मू तल (बिना छत अधिकार के) नेहरू नगर, गाजियाबाद में स्थित है परिमाण 62.35 वर्ग मीटर, जो श्रीमती सुरुधि यादव पत्नि स्व० श्री प्रदीप यादव के नाम पर है।। चौहद्दी निम्नानुसार : उत्तर : प्लेट संख्या F-20 दक्षिण : रोड 30फुट	बैंक के रिकार्ड के अनुसार कोई नहीं	₹ 39,26,000	₹ 3,92,600	₹ 1,00,000
		प्लेट नंबर II-A/F-15, ग्राउंड फ्लोर (बिना छत अधिकार के) नेहरू नगर, गाजियाबाद में स्थित है परिमाण 62.35 वर्ग मीटर, जो श्रीमती सुरुधि यादव पत्नी स्व० श्री प्रदीप यादव के नाम पर है।। चौहद्दी निम्नानुसार : उत्तर : प्लेट संख्या 14 दक्षिण : प्लेट संख्या 16 पूर्व : सर्विस लेन — 12 फीट चौड़ा पश्चिम : 30 फीट रोड	बैंक के रिकार्ड के अनुसार कोई नहीं	₹ 35,52,000	₹ 3,55,200	₹ 1,00,000

ई-नीलामा की तिथि एवं समय:	30.10.2023 को 11.00 बजे पूर्वा: से 4.00 बजे अप: के बीच 10 मिनट प्रत्येक के स्वत: विस्तार सहित।। न्यूनतम बोली वृद्धि राशि ऊपर बताए अनुसार है
अधिका जानकारी और नियम व शर्तों के लिए संपर्क करें:	इंडियन बैंक, एएसएम शाखा, पहली मंजिल, 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 (फोन नं.011-40230166), 8397913078(श्री आशीष ज़िंदल, मुख्य प्रबंधक) ईमेल: armdbelhi@indianbank.co.in
अधिक विवरण और नियम व शर्त डाउनलोड करने के लिए, कृपया देखें:	(i) https://www.tenders.gov.in (ii) www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index (iii) https://www.ibapi.in (iv) www.indianbank.in


बोलीदाताओं को अनलाइन बोली में भाग लेने के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएससीटीसी लिमिटेड की वेबसाइट (www.mstcecommerce.com) पर जान की सलाह दी जाती है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया एमएससीटीसी हेल्पडेस्क नंबर 033-22901004 तथा सेवा प्रदाता के हेल्पडेस्क पर उपलब्ध अन्य हेल्प लाइन नंबरों पर कॉल करें। एमएससीटीसी लिमिटेड के साथ संपर्किकरण की स्थिति के लिए कृपया ibapiop@mstcecommerce.com पर संपर्क करें तथा ईएमसी स्थिति के लिए कृपया ibapiin@mstcecommerce.com पर संपर्क करें।

सम्पत्ति के विवरण तथा सम्पत्ति के फोटोग्राफ और नीलामी के नियम एवं शर्तों के लिए कृपया देखें : <https://ibapi.in> तथा इस पोर्टल के साथ संबंधित स्पटीडोरमों के लिए, कृपया हेल्प लाइन नंबर '1800125026' तथा '011-41106131' पर संपर्क करें।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट <https://ibapi.in> तथा www.mstcecommerce.com पर सम्पत्ति की खोज के लिए सम्पत्ति आईडी नंबर का प्रयोग करें।।

तिथि : 26-09-2023, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी



पंजाब नैशनल बैंक Punjab national bank
(पंजाब का बैंक)

कब्जा सूचना (अचल/चल सम्पत्ति के लिए) (नियम-8(1))

जबकि, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिस्कुप्रिटाईजेशन एण्ड रिक्सट्रक्चान ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्सेमेंट ऑफ सिस्कुोरिटी इंटरैट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिस्कुोरिटी इंटरैट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अवयगीनी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अवयगीनी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अयोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अयोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा